न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 154/2025 बउनवानी सियाराम गुर्जर **बनाम** उपजिला कलेक्टर खण्डार
पुत्र राधामोहन शर्मा निवासी खिदरपुर जादौन तह0खण्डार

GCMS No-2025/ 303 **Appeal Number- 321368941691219**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
14.11.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 11.8.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर<u>*" ग्राम पंचायत खिदरपुर जादौन तहसील खण्डार के नरेगा कार्यो एवं अन्य विकास कार्यो को लेकर कुल 8 बिन्दुओ की प्रमाणित सूचना*</u> "उपजिला कलेक्टर खण्डार से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः भू.अ./आरटीआई/2005/2096 दिनांक 14.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 11.8.2025 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 8 मे चाही गयी सूचना का संबंध ग्राम पंचायत खिदरपुर से होने के कारण उक्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायत खिदरपुर को भिजवाया जाने पर ग्राम पंचायत खिदरपुर के पत्रांक 38 दिनांक 1.11.20225 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है जिसके संबंध मे स्वंय अपीलान्ट द्वारा दिनांक 6.11.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार के कार्यालय मे उपस्थित होकर चाही गयी सूचना से संतुष्ट होना लिखित मे अवगत कराया है। इस प्रकार चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 11.8.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 8 मे चाही गयी सूचना का संबंध उपजिला कलेक्टर खण्डार के कार्यालय से नही होकर ग्राम पंचायत खिदरपुर से है तथा अपीलान्ट द्वारा उक्तानुसार चाही गयी सूचना (83 पृष्ठों में) ग्राम पंचायत खिदरपुर के पत्रांक 38 दिनांक 1.11.2025 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner